International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 21-01-2022, Accepted: 04-02-2022, Published: 21-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 36-39

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति व जागरूकता का अध्ययन

कविता सागर
सहायक प्राचार्य, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
प्रस्तुत शोध निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति व जागरूकता पर केंद्रित है। शोध में सीकर एवं झुंझुनू जिले के ग्रामीण एवं शहरी 80 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
प्रस्तुत अध्ययन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी एवं जागरूकता का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का उपयोग किया गया। प्रतिशत सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग दत्त विश्लेषण के लिए किया गया है।
प्रस्तुत शोध के परिणाम स्पष्ट करते है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता औसत से उच्च स्तर पर पायी गयी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता सकारात्मक है।

मूल शब्द: निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा, अधिकार, अभिवृत्ति, जागरूकता आदि।

प्रस्तावना
प्रस्तुत शोध निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति व जागरूकता पर केंद्रित है। शोध में सीकर एवं झुंझुनू जिले के ग्रामीण एवं शहरी 80 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
प्रस्तुत अध्ययन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी एवं जागरूकता का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का उपयोग किया गया।प्रतिशत सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग दत्त विष्लेषण के लिए किया गया है।
प्रस्तुत शोध के परिणाम स्पष्ट करते है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता औसत से उच्च स्तर पर पायी गयी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता सकारात्मक है।

समस्या की पृष्ठ भूमि, औचित्य एवं महत्त्व
शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को उन्नत तथा सुसंस्कृत बनाकर उसका सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है।
गोपालकृष्ण गोखले ने लगभग सौ वर्ष पूर्व इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भारतीय लोगों को शिक्षा का अधिकार देने का कानून बनाने की बात कही थी। इसके तकरीबन 90 साल बाद शिक्षा अधिकार को एक बुनियादी हक के तौर पर शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए अगस्त 2009 में संसद में कानून बनाया था। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। संविधान की धारा 21 में इस कानून का उल्लेख है। यदि हम बालक के संदर्भ में बात करें तो न केवल उचित भोजन, पोषण, वातावरण, प्रेम सहानुभूति तथा सुरक्षा उसकी जरूरतें हैं बल्कि समुचित शिक्षा ही उसकी जरूरत है। षिक्षा के अभाव में बालकों का विकास होना तो दूर की बात उनके अस्तित्व पर भी प्रष्न चिन्ह लग सकता है।
अतः प्रत्येक बालक के लिए इनकी पूर्ति होने का तात्पर्य बालक के शारीरिक आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष को विकसित एवं सुदृढ़ करना है। इन सभी पक्षों के सबलीकरण हेतु बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, क्योंकि बालक स्वयं अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। बालक अपनी प्रत्येक छोटी–बड़ी जरूरत के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जन्म से लेकर स्वयं समर्थ होने अर्थात वयस्क होने तक वे अभिभावकों (माता–पिता) शिक्षकों एवं समाज पर पूर्णतः निर्भर होते हैं।
प्रस्तुत शोध में शोधार्थी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का स्तर क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाकर शिक्षा जगत में अपना योगदान प्रदान करने के लिए यह शोध किया गया।

शोध शीर्षक
निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति व जागरूकता का अध्ययन।

शोध के उद्देश्य

1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का पता लगाना।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का पता लगाना।

समस्या का परिभाषीकरण

1. **शिक्षा का अधिकार**–6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएँगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिषत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।इसके लिए बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक षिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस (स्कूल फीस) या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठय–पुस्तकें, मध्यान भोजन, परिवहन) नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवाएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती।गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।
2. **विद्यार्थीः** शोधकर्ता ने इस शोधकार्य में विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यार्थियों को सम्मिलित करके शिक्षा के अधिकार 2009 के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरूकता को देखने का प्रयास किया है।
3. **अभिवृत्तिः** अभिवृत्ति किन्हीं निष्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली वह स्वाभाविक तत्परता है। अभिवृत्ति को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थाई संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
4. **जागरूकताः**शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में जागरूकता का अर्थ शिक्षा के अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की चेतनता अर्थात् उनके मानसिक एवं भावात्मक रूप से सजग होने से लिया है।

परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य को सीकर एवं झुंझुनूं जिले के ग्रामीण एवं शहरी 80 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है। शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में सीकर एवं झुंझुनूं जिले के 40 ग्रामीण एवं 40 शहरी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

विधि

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

उपकरण

1. प्रस्तुत अध्ययन में निःशुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोगकिया गया।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का उपयोग किया गया।

सांख्यिकीय तकनीक

प्रस्तुत शोध कार्य में दत्त विष्लेषण के लिए प्रतिषत सांख्यिकीय तकनीक को उपयोग में लिया गया।

परिकल्पना

1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता सन्तोषजनक है।

दत्त विश्लेषण

परिकल्पना संख्या – 1: निःशुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

तालिका संख्या 1: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना

प्राप्तांक प्रतिशत			प्रतिशत की सार्थकता		
उच्च	औसत	निम्न	उच्च	औसत	निम्न
70	22	8	65.41 से 74.58 तक	17.85 से 26.14 तक	5.28 से 10.71 तक

उक्त सारणी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना की है जिसके अनुसार 65.41 से 74.58 प्रतिशत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति औसत से उच्च

स्तर पर पायी गयी। 17.85 से 26.14 प्रतिशत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति औसत तथा 5.28 से 10.71 प्रतिशत विद्यार्थियों की अभिवृत्ति औसत से निम्न स्तर की पायी गयी।

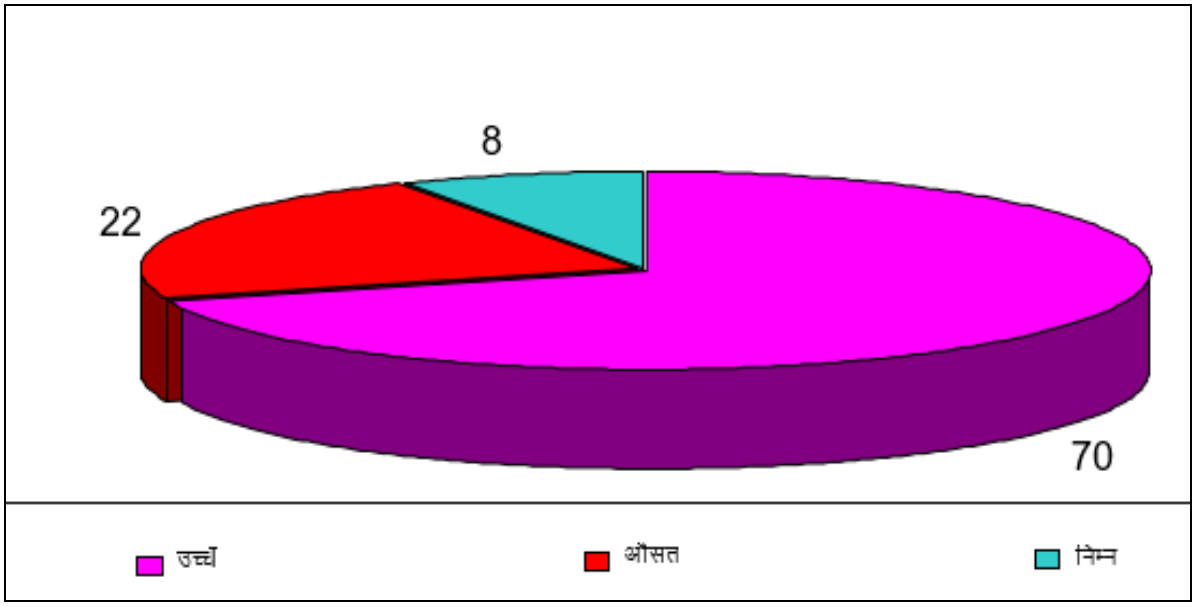

आरेख संख्या 1: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के प्रतिशत का आरेख

परिकल्पना संख्या – 2: निःशुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता सन्तोषजनक है।

तालिका संख्या 2: निःशुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना

प्राप्तांक प्रतिशत			प्रतिशत की सार्थकता		
उच्च	औसत	निम्न	उच्च	औसत	निम्न
40	52	8	30.20 से 49.79 तक	42.00 से 61.99 तक	2.57 से 13.42 तक

उक्त सारणी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना की है जिसके अनुसार 30.20 से 49.79 प्रतिषत विद्यार्थियों की जागरूकता औसत से उच्च स्तर पर पायी गयी। 42.00 से 61.99 प्रतिशत विद्यार्थियों की जागरूकता औसत तथा 2.57 से 13.42 प्रतिशत विद्यार्थियों की जागरूकता औसत से निम्न स्तर की पायी गयी।

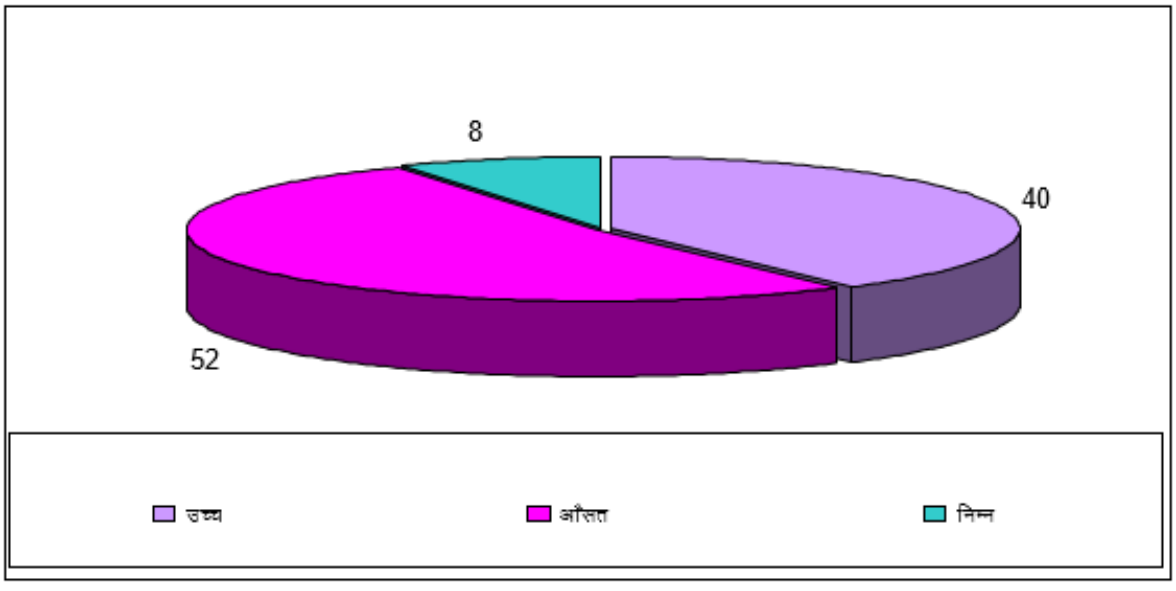

आरेख संख्या 2: निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता के प्राप्तांकों के प्रतिशत का आरेख

निष्कर्ष

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना के अनुसार अधिकतम विद्यार्थियों की अभिवृत्ति औसत से उच्च स्तर पर पायी गयी।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं प्रतिशत की सार्थकता की गणना के अनुसार अधिकतम विद्यार्थियों की जागरूकता औसत से उच्च स्तर पर पायी गयी।

शैक्षिक निहितार्थ

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता सकारात्मक है।'सब के लिए षिक्षा हेतु जनसंपर्क, चौपाल वार्ताएँ तथा टी.वी., रेडियो स्थानीय समाचार–पत्रों आदि से व्यापक प्रचार–प्रसार कर षिक्षा के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से उन्हे षिक्षित होने का अवसर प्राप्त करवाने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। शोध के परिणामों से स्पष्ट होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति विद्यार्थी सचेत है।

संदर्भ सूची

1 कपिल एच. के. (2008): ''सांख्यिकी के मूल तत्व'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
2 पाण्डेय, आर.एस (1990): ''भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयाम'', आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3 बायती जमनालाल, (जनवरी 2011 विद्या मेघ) : शिक्षा का विकासोन्मुखी क्षेत्र।
4 बाहरी, हरदेव (1969): वृहत्त अंग्रेजी – हिन्दी कोशः भाग–2 ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र.)
5 वर्मा, जे.के. (2013): ''शिक्षा का अधिकार'', राजा पॉकेट बुक्स, बुराड़ी, दिल्ली।
6 वशिष्ट डॉ. के.के. (1984–85) : ''विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्यायें,'' लायल बुक डिपो, मेरठ।
7 सरीन एवं सरीन (2004): **''**शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ**'',** रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
8 शर्मा, डा0 अनिल कुमार, (जनवरी 2011 विद्या मेघ), लेख–''पूर्ण साक्षरता की दिशा में एक कदम सर्व शिक्षा अभियान।''
9 शिविरा पत्रिका, जुलाई (2010): अंक–1, भास्कर, ए. सावन्त द्वारा डिपार्टमेन्ट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर।
10 www.rte.raj.nic.in